

प्रति,

समस्त,

कार्यपालन यंत्री,

लाईट मशीनरी एवं वि/यां.संभाग,

जल संसाधन विभाग,

रीवा/देवलौद/दतिया/भोपाल/

नरसिंहपुर/ग्वालियर/धार/सागर

विषय:- बांधों में स्थापित अंडर स्लूस/एन्वायरमेंट स्लूस गेट्स के संचालन के संबंध में ।

—000—

जल संसाधन विभाग में निर्मित/निर्माणाधीन वृहद एवं मध्यम बांध, संरचनाओं में अंडर स्लूस/एन्वायरमेंट स्लूस का प्रावधान रहता है ।

ये अंडर स्लूस गेट/एन्वायरमेंट स्लूस अत्यन्त संवेदनशील/हाई रिस्क गेट्स होते हैं एवं इनका संचालन अनुभवी/एक्सपर्ट अधिकारी की देख-रेख में किया जाना आवश्यक है क्योंकि इनका संचालन तभी किया जाता है जब बांध से जल निकासी का अन्य कोई विकल्प उपलब्ध न हो अर्थात् जल स्तर रेडियल गेट/वर्टिकल स्पिलवे गेट क्रॉस्ट लेवल से नीचे आ जाये ।

उक्त परिप्रेक्ष में निर्देशित किया जाता है कि आपके कार्यक्षेत्र में निर्मित बांधों में अंडर स्लूस/एन्वायरमेंट स्लूस गेट्स का संचालन बगैर मुख्य अभियन्ता, वि./यां की पूर्व अनुमति के न किया जाये । बिना पूर्व अनुमति के ऐसा किया जाना पाया जाने पर अथवा गेट संचालन में रूकावट आने के कारण संरचना में किसी भी प्रकार की क्षति पाये जाने की स्थिति में संबंधित कार्यपालन यंत्री, को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना जाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें ।

sd/-

(राजीव कुमार सुकलीकर)

प्रमुख अभियंता

जल संसाधन विभाग, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30/10/2018

पृ० क्रमांक 236002/डीएस/41/2016

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अभियन्ता, वि/यां, जल संसाधन विभाग, बांध सुरक्षा भवन भोपाल ।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता, .....
3. समस्त अधीक्षण यंत्री, .....
4. समस्त कार्यपालन यंत्री, .....
5. वेब मैनेजर, संचालक, विश्व बैंक परियोजनाएं पाईप्ले प्रोपास की ओर नेवसाइट

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

25/10/18

(राजीव कुमार सुकलीकर)

प्रमुख अभियंता

जल संसाधन विभाग, भोपाल